



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19022021-225255
CG-DL-E-19022021-225255

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 80]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 18, 2021/माघ 29, 1942

No. 80]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 18, 2021/MAGHA 29, 1942

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2021

सा. का. नि. 120(अ).—केन्द्रीय सरकार, मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 121 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख (केन्द्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण और मानसिक स्वास्थ्य पुनर्विलोकन बोर्ड) नियम, 2018 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:—इन नियमों का संक्षिप्त नाम मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख (केन्द्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण और मानसिक स्वास्थ्य पुनर्विलोकन बोर्ड) संशोधन नियम, 2021 है।

2. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख (केन्द्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण और मानसिक स्वास्थ्य पुनर्विलोकन बोर्ड) नियम, 2018 के नियम 17 में-

(क) प्रारम्भिक पैरा में, कोष्ठक और संख्या "(1)" का लोप किया जाएगा;

(ख) परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा

“परन्तु इस नियम के अधीन इस प्रकार गठित बोर्ड, एक बोर्ड या अन्य के अधीन सभी जिलों का समावेश करने के लिए अधिकारीता स्पष्ट रूप से निर्धारित करें”।

[फा.सं.वी-15012/05/2019-पीएच-1]

विशाल चौहान, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख (केन्द्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण और मानसिक स्वास्थ्य पुनर्विलोकन बोर्ड) नियम, 2018 को भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), में अधिसूचना संख्यांक सा. का. नि. 507 (अ), तारीख 29 मई, 2018 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi , the 18th February, 2021

G.S.R. 120(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 121 of the Mental Healthcare Act, 2017 (10 of 2017), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Mental Healthcare (Central Mental Health Authority and Mental Health Review Boards) Rules, 2018, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Mental Healthcare (Central Mental Health Authority and Mental Health Review Boards) Amendment Rules, 2021.

(2) They shall come to force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Mental Healthcare (Central Mental Health Authority and Mental Health Review Boards) Rules, 2018, in rule 17,—

- (a) in the opening paragraph, the brackets and figure “(1)” shall be omitted;
- (b) for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

“Provided that the Boards so constituted under this rule may have clearly defined jurisdiction to cover all the districts under one Board or the other.”.

[F.No.V.115012/05/2019–PH-I]

VISHAL CHAUHAN, Jt. Secy.

Note: The Mental Healthcare (Central Mental Health Authority and Mental Health Review Boards) Rules, 2018 rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 507(E), dated the 29th May, 2018.